

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक:-04/STA-P3-391/2010

दिनांक:-.....

श्री राजकमल सिंह के वाहन संख्या-JH-04D-6030 पर राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखंड द्वारा मार्ग देवघर से भागलपुर पर निर्गत परमिट संख्या-83/2010, नवीकरण के बाद जिसकी वैधता-09.08.2020 तक है, का प्रतिहस्ताक्षर, परमिट प्रतिहस्ताक्षर की तिथि से कर की गणना करते हुए इस शर्त के साथ किया जाता है कि भविष्य में अगर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि परमिट प्रतिहस्ताक्षर के पूर्व वाहन संख्या- JH-04D-6030 का बिहार राज्य में परिचालन हुआ है, तो परमिट जारी करने की तिथि (10.08.2015) से परमिट प्रतिहस्ताक्षर की तिथि-27.06.2017 तक का सम्पूर्ण कर दण्ड की राशि के साथ देय होगा।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-04/STA-P3-391/2010 4174

पटना, दिनांक- 10-08-17

प्रतिलिपि- जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि प्रतिहस्ताक्षर के पूर्व वाहन के बिहार राज्य में परिचालन की जांच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

मा. 118